२५/५/२५ पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप.। अप्रार्थी 2, 4, 5 की ओर से राकेश चौधरी हाजिर। वास्ते जवाब प्रा. पत्र पत्रावली दिनांक ७/जून/२५ को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

७/जून/२५ पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप.। वास्ते जवाब प्रा. पत्र पत्रावली दिनांक २२/जून/२५ को पेश।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

२२/जून/२५ पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप.। अप्रार्थीगण सम्मन जरिये डाक से भेजे एक माह से अधिक का समय हो चुका है। सम्मन अदम तामील लौटकर प्राप्त नहीं हुए है। अतः तामील सम्यक मानी जाती है। सम्यक तामील के उपरान्त अप्रार्थीगण हाजिर नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

बहस वकील प्रार्थी की प्रा. पत्र पर सुनी गई बहस सुनने के उपरान्त ज्ञात पड़ता है कि विवादित भूमि के प्रार्थी व अप्रार्थी खातेदार है एवं विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है।

अतः पत्र की बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय-वस्तु को बनाए रखने के लिए प्रा. पत्र के पत्रक सं. (2) में उल्लेखित भूमि पर उभयपक्षों को ताकेजलतफाए मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से फैसल हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)